न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 2020/00241 & 2021/913 — दायर दिनांक–04–10–2010

बीरबल सिंह पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी ग्राम गुंगाराम तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी ग्राम गुंगारा तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान।
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया।
वकील प्रति. नं. 2 :– भैरोंसिंह शेखावत।

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 02–08–2021

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में आराजी खसरा नम्बर 976, 977, 978 रकबा क्रमशः 0.01, 2.92, 3.51 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 6.44 हैक्टर स्थित थी। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में रामेश्वर पुत्र लिछमणराम, हरलाल, ओमप्रकाश, बीरबल सिंह पुत्रान् रामेश्वर हिस्सा 1/2 व उम्मेद सिंह पुत्र सवाई सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड थी।

रामेश्वर पुत्र लिछमण, हरलाल पुत्र रामेश्वर ने उपरोक्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी जरिये उपहार पत्र वादी को दान में दे दी, जिसका नामान्तकरण संख्या 1019 दिनांक 05.07.2011 को वादी के नाम से दर्ज हो गया और रामेश्वर व हरलाल के हिस्से की भूमि का राजस्व अभिलेख वादी के नाम से दर्ज हो गया। इसलिये रामेश्वर व हरलाल के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष नही चाहे जाने से उन्हे दावे मे पक्षकार नही बनाया है। इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का 3/8 हिस्सा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश का व 1/2 हिस्सा उम्मेद सिह पुत्र सवाई सिंह का रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश ने वाद पत्र के खण्ड 1 में वर्णित आराजी में अपने 1/8 हिस्से की भूमि व इसमे निर्मित चाह में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2017 को वादी के पक्ष में दान कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजी में 1/2 में हिस्सा वादी का व 1/2 हिस्सा उम्मेद सिंह का हो गया और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि व चाह में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2017 से वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी में कोई हक, हिस्सा व अधिकार शेष नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी में जो हक, हक अधिकार [illegible] था वह उक्त हस्तान्तरण विलेख (दानपत्र दिनांक 30.05.2017) के द्वारा वादी के नि[illegible] राजस्व अभिलेख वादी के नाम से दर्ज नही हुआ और इसी दौराने न्यायालय की डिक्री से उक्त आराजी का विभाजन होकर अलग–अलग खाते निम्न प्रकार से कायम हो गये ':–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
1	ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर जो प्रतिवादी संख्या 1	978	0.7925

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:08 IST
Reason: SelfAttested

	बीरबल सिंह पुत्र रामेश्वर वादी	1750/978	2.3775
2 3	उम्मेद सिंह पुत्र सवाई सिंह (दावे मे कोई अनुतोष नही चाहने पर पक्षकार नही बनाया है।)	976, 977, 1752/978	रकबा क्रमशः 0.01, 2.92, 0.26
		कुल किता 03	कुल रकबा 3.19
4	ओमप्रकाश हि. 1/4, बीरबल हि. 3/4	1749/978	0.02
5	ओमप्रकाश हि. 1/8, बीरबल हि. 3/8, उम्मेद सिंह हि. 1/2	1751/978	0.06

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश ने वादी के पक्ष में दान कर दिया था इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का कोई हक, अधिकार व हिस्सा शेष नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर वादी काबिज काश्त हो गया और प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि समस्त हक अधिकारी वादी में निहित हो गये। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है परन्तु उपरोक्त आराजी राजस्व अभिलेख वादी के नाम से दर्ज नही हुआ।

ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू मे आराजी खसरा नम्बर 976, 977, 978 रकबा क्रमशः 0.01, 2.92, 3.51 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 6.44 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्ट्रर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2017 से वादी को हस्तान्तरित कर दी है। उक्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार शेष नही रहा। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी हो गया। उक्त आराजी न्यायालय की डिक्री से विभाजन होने के पश्चात भूमि खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का खसरा नम्बर 1749/978 रकबा 0.02 हैक्टर में 1/4 हिस्से का व भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में 1/8 हिस्से का राजस्व अभिलेख प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुआ है। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में हिस्सा 1/8 का प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

उक्त वाद के लिए वाद हेतुक दिनांक 30.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि रजिस्ट्रर्ड दान पत्र से दान करने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पेदा हुआ है।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम देवीपुरा की खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का, भूमि खसरा नम्बर 1749/978 रकबा 0.02 हैक्टर में हिस्सा 1/4 का व भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में हिस्सा 1/8 का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जावे। राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो वादी के पक्ष में पडती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से वकील श्री भैरोंसिंह शेखावत उपस्थित हो अपना वकालत नामा पेश तथा साथ ही जवाब दावा इस कदर पेश किया [illegible] दर्ज होने से स्वीकार है मैने रजिस्ट्रर्ड दान–पत्र से भूमि वादी को दान में दी है जिसका वादी [illegible]री काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख वादी के नाम से दर्ज किया जाता [illegible] है।

प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी सम्यक [illegible] के उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण नम्बर 01 की ओर वाद पत्र को स्वी[illegible]र करने तथा प्रतिवादी नम्बर 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रह जाती है तथा विवाद्यको पर निर्णय किये जाने की आवश्कता नही है। जवाब देही प्रस्तुत होने पर शहादत पेश नही कर सीधी बहस करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:08 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

गया। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम देवीपुरा स्थित वर्णित आराजी खसरा नम्बर 976, 977, 978 रकबा क्रमशः 0.01, 2.92, 3.51 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 6.44 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 30.05.2017 से वादी को हस्तान्तरित गई है। उक्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार शेष नही रहता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का, खसरा नम्बर 1749/978 रकबा 0.02 हैक्टर में 1/4 हिस्से का व भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में 1/8 हिस्से का राजस्व अभिलेख प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुआ है, इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में हिस्सा 1/8 का प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की खसरा नम्बर 978 रकबा 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का, भूमि खसरा नम्बर 1749/978 रकबा 0.02 हैक्टर में हिस्सा 1/4 का व भूमि खसरा नम्बर 1751/978 रकबा 0.06 हैक्टर में हिस्सा 1/8 का वादी बीरबर सिह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामश्वेर लाल का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.08.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहाकय कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:08 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं:– 2020 / 00241 & 2021 / 913 **(बीरबल सिह बनाम ओमप्रकाश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर एवं **कार्यपालक मजिस्ट्रेट** (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील **प्रतिवादीगण मनजानिब** मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 02.08.2021 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा की खसरा **नम्बर 978 रकबा** 0.7925 हैक्टर सम्पूर्ण का, भूमि खसरा नम्बर 1749 / 978 रकबा 0.02 हैक्टर में हिस्सा 1 / 4 का **व भूमि खसरा नम्बर** 1751 / 978 रकबा 0.06 हैक्टर में हिस्सा 1 / 8 का वादी बीरबल सिह को खातेदार काश्तकार **घोषित किया** जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामश्वेर लाल का नाम हजफ किया जाता है। **तहसीलदार नवलगढ** को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। **खर्चा पक्षकरान** अपना–अपना वहन करेगे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे
जिन......–............ मुबलिग............–.............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी **सालना** आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.08.2021 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	8.00		2.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:08 IST
Reason: SelfAttested